कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर

पत्रांक 2251 /14–10 सहारनपुर दिनांक 20 जनवरी 2017

सेवा में,

उप वन सरक्षक,
जालौन सामजिक वानिकी प्रभाग,
उरई (उ0प्र0)

विषयः– शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच072ए) किमी0 4.100 से 16.000 के तथा रुडकी–छुटमलपुर– सहारनपुर–यमुनानगर ((एन0एच0–73) किमी0 22 से 23.000 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 प्रभाग सहारनपुर में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1419/ सहारनपुर/ 17752/2016 दि0 6.01.17

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव के सापेक्ष आपके प्रभाग के अन्तर्गत 95..405 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार आपत्तियां लगाई गयी हैं ।

बिन्दु संख्या 1–प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या–3– जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

कृपया उक्त आपत्तियों के अनुपालन में संशोधित प्राक्कलन एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

पत्रांक 2251 / दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मकान नं0 5, लेन नं04 तेग बहादुर रोड, देहरादून।

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

O/C

Mislenious leter file **1448**

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1419 /सहारनपुर/17752/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 06 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषय : शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन **कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः आपका पत्रांक–1973/14–1, दिनांक 21.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित बृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के डिजिटल मैप को प्राक्कलन के मध्य में संलग्न किया गया है। चयनित स्थल कई खण्ड में है, अतः प्राक्कलन के मध्य में न संलग्न कर समस्त डिजिटल मैप एक साथ संलग्न करें, ताकि प्रस्ताव परीक्षण में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।

3– जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

4– सामाजिक वानिकी सहारनपुर में प्रभावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है। ईको क्लास के अनुसार गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है तथा प्रमाण–पत्र पर जिलाधिकारी की सील अंकित नहीं है। सील अंकित कराकर मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

6– प्रस्तावित स्थल के 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी स्थित होने के सम्बन्ध में दोनों प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

7– ऑनाइन पार्ट–2 व 3 पर संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

8– मार्ग चौड़ीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान R.O.W., प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।

9– मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवशेष वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

10– मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित संलग्न नहीं है।

11– उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या व विषय सूची को संशोधित करें।

उपरोक्तानसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/1/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1419 /, उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, सहारनपुर के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, सहारनपुर।

3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, देहरादून।

6/1/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।
पत्रांक 2334/14-1 दि0 16-1-17
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों/आपत्तियों का निराकरण तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
1- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर
2- प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग, स0पुर।

17.1.17

अतः नोडल अधिकारी स्तर से लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण तत्काल प्रस्तुत करने का कष्ट करें, उक्त कम में आन लाइन प्रस्ताव आपको वापस किया जाता है।

भवदीय

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

पत्रांक 2247/ दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

3– उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई, (उ0प्र0) को इस आशय से प्रेषित कि आपके प्रभाग से सम्बन्धित उक्त आपत्तियों का निराकरण शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

o/c

ई–मेल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर
पत्रांक 2247 / 14–10 सहारनपुर दिनांक 20 जनवरी 2017

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, (dehradun@nhi.org)
मकान नं0 5 लेन–4, तेगबहादुर रोड,
देहरादून –248001

विषयः– शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच072ए) किमी0 4.100 से 16.000 के तथा रूडकी–छुटमलपुर– सहारनपुर–यमुनानगर ((एन0एच0–73) किमी0 22 से 23.000 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 प्रभाग सहारनपुर में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1419/ सहारनपुर/ 17752/2016 दि0 6.01.17

महोदय,

उक्त उल्लेखित पत्र जो वन संरक्षक, सहारनपुर को सम्बोधित एवं आपको व अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव में उल्लेखित निम्नांकित आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी/आपके स्तर से किया जाना है।

<u>बिन्दु संख्या 1–</u>प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है। इस आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न, जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई से सम्बन्धित 95.405 हे0 के प्राक्कलनों में 8 वर्ष का ही अनुरक्षण प्राविधानित किया गया है, इसलिये, जालौन वन प्रभाग, ऊरई से उक्तानुसार संशोधित प्राक्कलन प्राप्त करते हुये प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

<u>बिन्दु संख्या–3–</u> जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है। कृपया उक्त वन प्रभाग से वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करते हुये प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

<u>बिन्दु संख्या–5–</u> वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया है, तथा प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की सील अंकित नहीं है। कृपया सील अंकित कराकर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

<u>बिन्दु संख्या–8 –</u> मार्ग चौडीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान R.O.W.एवं चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वन भूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है। कृपया उक्तानुसार वांछित लीनियर प्लान प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

<u>बिन्दु संख्या–9 –</u> चौडीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु शिवालिक वन प्रभाग, एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत पडने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना (दोनो वन प्रभागों हेतु अलग–अलग करते हुये) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन तैयार किया जा सके।

<u>बिन्दु संख्या– 11–</u> नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या एवं विषय सूचि सशोंधित कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ, के कार्यालय से प्राप्त की जानी है, जिसके लिये अपने विभाग की ओर से किसी कर्मचारी को नामित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु उसे प्राधिकृत किया जा सके।